संख्या- 3/2017/क0नि0-4-1227/11-2017-300(15)/15

प्रेषक,

अरविन्द कुमार
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर ,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 25 अक्टूबर, 2017**

विषयः- जनपद औरैया में वाणिज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण हेतु वर्ष 2017-18 के बजट में प्राविधानित धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-स0नि0-औरैया-47/का0भ0नि0/2016-17 /548/वाणिज्य कर, दिनाँक-28.09.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद औरैया में वाणिज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण हेतु वर्ष 2017-18 के बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 265.93/- (रू0 दो करोड़ पैंसठ लाख तिरानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1.) आहरित धनराशि बैंक/पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में जमा नहीं की जायेगी।
(2.) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
(3.) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियाँ, मानक गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था/आयुक्त, वाणिज्य कर का होगा।
(4.) परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
(5.) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय किया जायेगा।
(6.) परियोजना निर्माण में वित्त विभाग समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
(7.) उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/आयुक्त, वाणिज्य कर का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-8/2017/बी0-1- 1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-89 के लेखाशीर्षक-''4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-13-क्षेत्रीय कार्यालय-1314-जनपद औरैया में वाणिज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

संख्या- 3/2017/क0नि0-4-1227/11-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, औरैया, उ0प्र0।
4. एडिशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर मुख्यालय,लखनऊ।
5. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड, औरैया।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।